संख्या–क0नि0–5–3964/11–2006–312(45)/2006

प्रेषक,

प्रीतम सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्द्न,
उ0प्र0, शिविर कार्यालय,
लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 29 नवम्बर, 2006

विषयः– स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग में अपर महानिरीक्षक निबन्धन/अपर आयुक्त स्टाम्प (विभागीय) उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प तथा उपनिबन्धक संवर्ग का वेतनमान संशोधित/उच्चीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिरीक्षक निबन्धन के पत्र संख्या–1230/सांख्यिकी/शि0का0लख0/06 दिनांक 18.09. 2006 के सन्दर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के संवर्ग पुनर्गठन के संबंध में मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित पदों का कालम–3 में इंगित वेतनमान कालम–4 में उल्लिखित वेतनमान के रूप में शासनादेश जारी होने की तिथि से संशोधित/उच्चीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान	संशोदित/उच्चीकृत वेतनमान
1	2	3	4
1	अपर महानिरीक्षक निबन्धन/अपर आयुक्त स्टाम्प (विभागीय)	12000–16500	14,300–400–18,300
2	उप महानिरीक्षक निबन्धन/ उपायुक्त स्टाम्प	10000–15200	12,000–375–16,500
3	सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/ सहायक आयुक्त स्टाम्प	8000–13500	10000–325–15,200
4	उपनिबन्दक	6500–10500	8000–275–13500 सदर कार्यालयों तथा उन कार्यालयों
जिनका राजस्व			वित्तीय वर्ष 2005–06 में रु0 9.5
करोड़ रहा है, के			चिन्हित 120 पदों पर ज्येष्ठता के
आद्यार पर।			शेष पदों के लिए
वेतनमान रु0 6500–10500			यथावत रहेगा।

2– उपर्युक्तानुसार संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत वेतनमानों में आने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण सामान्य नियमों (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 के मूल नियम 22 में उपनियम–क (दो) के उप खण्ड (ग) के अन्तर्गत किया जायेगा। शासनादेश निर्गत होने की तिथि के बाद उक्त वेतनमानों में नियमावली के प्राविधानों के अनुसार वेतन निर्धारण लागू सामान्य नियमों के अनुसार किया जायेगा।

3– उपरोक्तानुसार संवर्गीय सेवा नियमावली में आवश्यक व्यवस्था तत्काल कर ली जाय।

4– सह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 के अशासकीय संख्या– वे0आ0 –1– 642 / दस –2006 दिनांक 21.11.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(प्रीतम सिंह),
प्रमुख सचिव।

संख्याःक0नि0–5–3964 (1)/11–2006–तद्‌दिनांकः
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2 (तीन–तीन प्रतियों में)
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9
5– कार्मिक अनुभाग–1/2
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(चन्द्र प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।